प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 26.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामकुमार को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.11.2022 को 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामकुमार नि0ग्राम फूटाकुआं थाना फरधान जिला खीरी केस नं0 – 140-21 अ0सं0 322/20 धारा 138B वि0 अधि0 में वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त के घर ग्राम फूटाकुआं थाना फरधान जिला खीरी से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय लखीमपुर खीरी पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 अनूप कुमार मिश्रा
2. का0 श्याम किशुन
3. का0 गोविन्द

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत डग्गामार वाहन, बिना परमिट बिना फिटनेस ओवरलोड सवारी, तीन सवारी, बिना हेलमेट एवं बिना प्रदूषण के वाहन चलाने पर कचहरी, नौरंगाबाद, पंडित दीनदयाल, संकटा देवी, मेला मैदान चौराहा, एलआरपी, राजापुर चौराहों पर प्रभारी यातायात निर्मल जीत यादव आरक्षी यातायात बीवन राज, पंकज वर्मा, सत्य प्रकाश, संदीप कुमार, जैनेंद्र शर्मा, नागेश्वरनाथ, विजय सिंह, पवन कुमार, रज्जनलाल आदि द्वारा चेकिंग की गई एवं धर्म सभा इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी के प्रधानाचार्य श्री आलोक गोयल एनसीसी कैप्टन श्री राजकुमार सिंह एवं शिक्षकगणों की मौजूदगी में 950 छात्र-छात्राओं एवं एनसीसी कैडेटों को यातायात नियमों के बारे में यातायात संगीत एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों के पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। स्कूल समय हमेशा अपने बायीं ओर चलें, घर से 10 मिनट पहले चले, उतावलेपन में ना चलें, वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टंट बाइकिंग से बचे, काली फिल्म, मॉडिफाई साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें, गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर पिकअप पर यात्रा न करें।

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 152 वाहनों का चालान व 01 वाहन सीज किए गए हैं साथ ही साथ ही संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठन एवं शपथ दिलाई गई।

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त सियाराम पुत्र मेवालाल को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.11.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 521/22 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधि0 में वांछित अभियुक्त सियाराम पुत्र मेवालाल को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-</u>

सियाराम पुत्र मेवालाल नि0 ग्राम मनिकापुर थाना फरधान जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 देवकरन शर्मा
2. का0 विशाल त्यागी
3. का0 राहुल त्यागी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 03 नफर वांछित अभियुक्तों (01 बाल अपचारी सहित) को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.11.2022 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 527/22 धारा 354/452/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अजय पुत्र मार्कण्डेय नि0 ग्राम सैदीपुर खुर्द थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मु0अ0सं0 434/22 धारा 376/506 भादवि में वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र राम प्रसाद नि0 ग्राम सुरजीपुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मु0अ0सं0 386/22 धारा 457/380 भादवि में वांछित 01 नफर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण-

1- अजय पुत्र मार्कण्डेय नि0 ग्राम सैदीपुर खुर्द थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2- अमित कुमार पुत्र राम प्रसाद नि0 ग्राम सुरजीपुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3- 01 नफर बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 दीपक तिवारी
2-उ0नि0 नागेन्द्र पाण्डेय
3-उ0नि0 मोहम्मद अनीस
4-का0 सुरेन्द्र कुमार
5-का0 रोहित कुमार
6-का0 जितेन्द्र कुमार
7-का0 संजीव कुमार

<u>थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त रामजी शुक्ला उर्फ गुड्डू पुत्र जागेश्वर शुक्ला को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त रामजी शुक्ला उर्फ गुड्डू पुत्र जागेश्वर शुक्ला निवासी मोहल्ला रामनगर औरंगाबाद रोड कस्बा व थाना मैगलगंज जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मैगलगंज पर मु0अ0सं0 403/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

<u>थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त विजय सक्सेना पुत्र रमेश चन्द्र सक्सेना को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय सक्सेना पुत्र रमेश चन्द्र सक्सेना निवासी परसेहरा थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 428/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 782/22 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र श्यामलाल निवासी बाजारपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना निघासन पुलिस द्वारा, अ0सं0 358/21 धारा 323/325/504 भादवि में वारण्टी अभियुक्त नेकराम पुत्र दीपचन्द्र निवासी कुड़ियाना थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना मितौली पुलिस द्वारा, अ0सं0 9395/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वारण्टी अभियुक्त प्रदीप पुत्र संकटा प्रसाद निवासी कस्ता थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

4. थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा, अ0सं0 122/18 धारा 60 Ex Act में वारण्टी अभियुक्त छंगा पुत्र रामदीन निवासी बेलहरा थाना पसगवाँ

5. थाना गोला पुलिस द्वारा, अ0सं0 2002/20 धारा 12 डी0डी0 एक्ट में वारण्टी अनिल पुत्र जगानाथ निवासी दौलतगंज थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 142 लीटर अवैध शराब बरामद कर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **142 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **03 शराब भट्टी** बरामद कर **12 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।